

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग  
मंत्रालय

कमाक/एफ 8-8/05/2/34

भोपाल,दिनांक जनवरी,2008

प्रति,

1. समस्त मुख्य अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यात्रिकी परिक्षेत्र,  
भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/(वि/या)भोपाल
2. समस्त अधीक्षण यंत्री,  
लोक स्वास्थ्य यात्रिकी (मण्डल)  
मध्यप्रदेश ।

विषय-नियमित रूप से दौरा किये जाने के संबंध में ।

- संदर्भ-1. शासन का समसख्यक आदेश क. 2010 दिनांक 17.5.05, क. 2151 दि. 31.5.05,  
क. 3686 दिनांक 30.9.05 तथा क. 1055 दिनांक 20.4.06, 1895 दि.24.4.06  
2. प्रमुख अभियंता का पत्र क. 1426/पीए/मानि/07, दिनांक 29.12.2007

उपरोक्त विषयक सदमित आदेशों/पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा विभागीय कार्यों का निरीक्षण करने हेतु अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण करने के निर्देश प्रसारित किये गये थे । विगत कुछ समय से यह परिलिखित हुआ है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण/भ्रमण बहुत कम किया जा रहा है । अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि गंभीरता पूर्वक समस्त कार्यों का निरीक्षण करें तथा आवश्यकतानुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना भी सुनिश्चित करें । अधीक्षण यंत्री अपना निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य अभियंता एवं प्रमुख अभियंता को प्रस्तुत करेंगे तथा मुख्य अभियंता इन पर टीप प्रमुख अभियंता तथा शासन को प्रस्तुत करेंगे ।

(एस.एस.श्रीवास्तव)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग

भोपाल,दिनांक 14 जनवरी,2008

पृ कमाक/एफ 8-8/05/2/34

प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक, मा मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग मध्यप्रदेश ।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग, भोपाल एी और संदर्भित पत्र को जारी निर्देशों के तारतम्य में प्रत्येक माह अपना प्रतिवेदन भेजने का प्रस्ताव ।

(एस.एस.श्रीवास्तव)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग

Tul110